रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-15092022-238863 CG-DL-E-15092022-238863

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 625] No. 625] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 15, 2022/भाद्र 24, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 15, 2022/BHADRA 24, 1944

वित्त मत्रांलय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2022

सं. 79/2022-सीमा शुल्क (एन.टी.)

सा.का.नि. 705(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 51ख के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर रेग्यूलेशन्स, 2021 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा :-

- 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ (1) इन विनियमों को इलेक्ट्रॉनिक ड्यूटी क्रेडिट लेजर (अमेंडमेंट) रेग्यूलेशन्स, 2022 कहा जाएगा।
 - (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. इलेक्ट्रॉनिक ड्युटी क्रेडिट लेजर रेग्युलेशन्स, 2021 में,-
 - (i) विनियम 6 में, उप-विनियम (2) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्दों को, प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ii) विनियम 7 में, उप-विनियम (3) में, "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष" शब्दों को, प्रतिस्थापित किया जाएगा.

[फा. सं. सीबीआईसी-140605/12/2021-O/o निदेशक(प्रतिअदायगी)-सीबीईसी] ओ. पी. मीना, अवर सचिव

6215 GI/2022 (1)

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 75/2021-सीमाशुल्क (गै.टे), दिनांक 23 सितंबर, 2021 को सा.का.नि. 654(अ) और दिनांक 23 सितंबर, 2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2022

No. 79/2022-Customs (N.T.)

- **G.S.R. 705(E).**—In exercise of the powers conferred by section 51B read with section 157 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby makes the following regulations to amend the Electronic Duty Credit Ledger Regulations, 2021, namely:-
- 1. Short title and commencement (1) These regulations may be called the Electronic Duty Credit Ledger (Amendment) Regulations, 2022.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Electronic Duty Credit Ledger Regulations, 2021,-
- (i) in regulation 6, in sub-regulation (2), for the words "one year", the words "two years", shall be substituted;
- (ii) in regulation 7, in sub-regulation (3), for the words "one year", the words "two years", shall be substituted.

[F. No. CBIC-140605/12/2021-O/o Dir(Drawback)-CBEC]

O. P. MEENA, Under Secy.

Note: The principal notification No. 75/2021-Customs (N.T.), dated the 23rd September, 2021 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 654(E), dated the 23rd September, 2021]